

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नावा (डीडवाना-कुचामन) राज.
पीठारीन अधिकारी :- श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

प्रार्थी
राज. सरकार जरिथे तहसीलदार
सा. नावां तह. नावां

वनाम

अप्रार्थीगण

1. कानाराम पुत्र विरदाराम जाति बलाई
2. गिरधारी पुत्र कालूराम जाति बलाई
3. गोपाल पुत्र सुवाराम जाति बलाई
4. गोरदेवी पुत्री कालूराम जाति बलाई
5. चैनाराम पुत्र गोपाल जाति बलाई
6. छोटीदेवी पुत्री सुवाराम जाति बलाई
7. जीतू पुत्र गोपाल जाति बलाई
8. फुलकीदेवी पुत्री विरदाराम जाति बलाई
9. भंवरलाल पुत्र विरदाराम जाति बलाई
10. मालूराम पुत्र कालूराम जाति बलाई
11. मीरा पुत्री सुवाराम जाति बलाई
12. मोहनीदेवी पत्नि गोपाल जाति बलाई
13. रणवीर पुत्र गोपाल जाति बलाई
14. राजेश पुत्र सुवाराम जाति बलाई
15. रामचन्द्र पुत्र सुवाराम जाति बलाई
16. रामपाल पुत्र सुवाराम जाति बलाई
17. शान्तिदेवी पुत्री सुवाराम जाति बलाई
18. सुखदेव पुत्र सुवाराम जाति बलाई
19. सोहनीदेवी पुत्री कालूराम जाति बलाई
सा. लूणवां तह. नावां।


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल.आर.ए.

मुकदमां नम्बर :- 0120/2023

निर्णय दिनांक :- 12.09.2023

आदेश

तहसीलदार नावां ने ग्राम लूणवां पटवार हल्का लूणवां तहसील नावां के खसरा नम्बर 1479/901 रकबा 0.62 हैक्टर किस्म वारानी-1, खसरा नम्बर 1481/902 रकबा 0.75 हैक्टर किस्म वारानी-1 भूमि में से प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ते के विवरण में दी गई भूमि वर्षों से मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही हैं। नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है लेकिन उक्त खसरा नम्बरान में से राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी में गै.मु. रास्ता दर्ज नहीं होकर वारानी-1 दर्ज हैं। तहसीलदार नावां ने प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम लूणवां पटवार हल्का लूणवां तहसील नावां के खसरा नम्बर 1479/901 रकबा 0.62 हैक्टर किस्म वारानी-1, खसरा नम्बर 1481/902 रकबा 0.75 हैक्टर किस्म वारानी-1 भूमि में से प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वारानी-1 से गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।


उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम लूणवां पटवार हल्का लूणवां तहसील नावां के खसरा नम्बर 1479/901 रकबा 0.62 हैक्टर किस्म बारानी-1, खसरा नम्बर 1481/902 रकबा 0.75 हैक्टर किस्म बारानी-1 भूमि दर्ज रिकार्ड हैं तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही हैं तथा मौके पर वर्षों से रास्ता कायम हो रखा है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम लूणवां पटवार हल्का लूणवां तहसील नावां के खसरा नम्बर 1479/901 रकबा 0.62 हैक्टर किस्म बारानी-1, खसरा नम्बर 1481/902 रकबा 0.75 हैक्टर किस्म बारानी-1 भूमि मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग आ रही हैं। प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित हैं लेकिन जमाबंदी में गै.मु. रास्ता दर्ज नहीं हैं तथा भूमिधारी तहसीलदार नावां ने उक्त खसरा नम्बर की भूमि को गै.मु. रास्ता जमाबंदी में दर्ज करने हेतु अपनी सहमति दी हैं। इस संबंध में राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक/प.3(2) राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 ऐसे रास्तों को रिकार्ड में दर्ज करने हेतु निर्देश दिये हैं। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।

अतः तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 में दिये गये प्रावधानों के अनुसरण में ग्राम लूणवां पटवार हल्का लूणवां तहसील नावां के खसरा नम्बर 1479/901 रकबा 0.62 हैक्टर किस्म बारानी-1 में से 0.0594 हैक्टर, खसरा नम्बर 1481/902 रकबा 0.75 हैक्टर किस्म बारानी-1 भूमि में से 0.0684 हैक्टर भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त गै.मु. रास्ता की भूमि खातेदारों की खातेदारी यथावत रहेगी। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का अंभिन्न अंग रहेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार नावां को पालनार्थ भिजवाई जावे।



(विश्वामित्र मीना)

उपखण्ड अधिकारी,

नावां (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी

नावां (डीडवाना-कुचामन)